न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 / पुनर्विलोकन– / पी.बी.आर. / 2017

श्री रामचन्द्र शीतलानी आत्मज श्री अटठूमल शीतलानी
निवासी–21, अमीरगंज,ईदगाह हिल्स, भोपाल ——पुनर्विलोकनकर्ता

विरूद्ध

1– श्रीमती उर्मिला शर्मा,पत्नि श्री अशोक शर्मा,
2– राहुल पचोरी आत्मज श्री प्रभुदयाल पचौरी
निवासीगण–42,शकुन्तलापुरी, थाटीपुर,ग्वालियर
3– श्रीमती सरोज पचोरी पत्नि श्री व्ही0एन0पचौरी
निवासी–ई–8 / 382, चाणक्य अपार्टमेंट,फेस–2
त्रिलोचन नगर, भोपाल ——अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–51 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

पुनर्विलोकनकर्ता न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क्र0 विविध .9073–पी.बी.आर. / 2017 में पारित आदेश दिनांक – 06.04.2017 एवं प्र0क्र0 / आर.1018–पी.बी.आर. / 2017 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 (जो कि न्यायालय श्रीमान अ0वि0अ0 वृत्त टी0टी0नगर भोपाल के प्र0क्र0 4 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक–14.03.2017 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय में निर्धारित समयावधि में यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है:–

प्रकरण में अपेक्षित अभिलेख

1– श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क्र0विविध 9073–पी.बी.आर. / 2017
2– श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर का प्र0क्र0 / आर.1018–पी.बी.आर. / 2017
3– अनुविभागीय अधिकारी वृत्त टी0टी0नगर भोपाल के प्र0क्र0 4 / अपील / 2016–17

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि पुनर्विलोकनकर्ता ने न्यायालय तहसीलदार वृत्त टी0टी0नगर भोपाल के प्र0क्र0 94 / बी–121 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 से परिवेदित होकर न्यायालय अ0वि0अ0 वृत्त टी0टी0नगर भोपाल में संहिता की धारा–44(1) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में दिनांक–17.02.2017 को प्रथम अपील प्रस्तुत की थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1154–पीबीआर/2017 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–04–17	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1018–पीबीआर/2017 में पारित आदेश दिनांक 27–03–2017 एवं विविध प्रकरण कमांक 9073–पीबीआर/2017 में पारित संशोधन आदेश दिनांक 6–4–17 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है. इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	